झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वादश (बजट) सत्र

वर्ग-02

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक- 10 माघ, 1939 (श0) / 30 जनवरी, 2018 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को संसूचित की गई सां0स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गयी तिथि
01.	02	03	04	05	06
91.	अ0सू0-33	श्री प्रकाश राम	विषयों को शामिल कराना	स्कूली शिक्षा	23.01.18
92.	अ0सू0-16	श्री रबीन्द्रनाथ महतो	सुविधा प्रदान कराना	उच्च एवं तकनीकी	14.01.18
93.	अ0सू0-14	श्री सुखदेव भगत	कला-शिल्प महाविद्यालय खोलना	पर्यटन कला संस्कृति	14.01.18
94.	अ0सू0-21	श्री राम कुमार पाहन	नियुक्ति करना	स्कूली शिक्षा	15.01.18
95.	अ0सू0-12	श्री योगेन्द्र प्रसाद	परीक्षा में शामिल करना	स्कूली शिक्षा	14.01.18
96.	अ0सू0-30	श्री मनोज कुमार यादव	पद सृजन कर बहाली	स्कूली शिक्षा	21.01.18
97.	अ0सू0-19	श्री रबीन्द्रनाथ महतो	मानदेय चालू करना	स्कूली शिक्षा	15.01.18
98.	अ0सू0-17	श्रीमती गीता कोड़ा	घेराबंदी कार्य को रोकना	वन पर्यावरण	10.01.18

(क्र0पृ030)

01	02	03	04	05	06
99.	अ0सू0-28	प्रो0 जय प्रकाश वर्मा	स्थानातरण करना	स्कूली शिक्षा	20.01.18
100.	अ0सू0-20	श्री बिरंची नारायण	अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन	स्कूली शिक्षा	15.01.18
101.	अ0सू0-34	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	समान वेतन देना	स्कूली शिक्षा	23.01.18

रॉची,
दिनांक-30 जनवरी,2018 ई0।

विनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-04/2015-1126/वि0स0,रॉची,दिनांक-29 जनवरी,2018 ई0।

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

29/1/18

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-04/2015-1126/वि0स0,रॉची,दिनांक-29जनवरी,2018 ई0।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव (प्रश्न) संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

29/1/18

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-04/2015-1126/वि0स0,रॉची,दिनांक-29जनवरी,2018 ई0।

प्रतिलिपि :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/1/18

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची।

29/01/18

294
29/01/2018

श्री प्रकाश राम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-33

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् वर्ग 9 एवं 10 में मात्र पाँच व्यवसायिक विषयों की ही पढ़ाई की व्यवस्था है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् वर्ग 09 एवं वर्ग 10 में कुल 9 निम्न ट्रेडो में पठन-पाठन की व्यवस्था है:- 1. आई.टी./आई.टी.ई.एस 2. टूर एण्ड ट्रेवल 3. हेल्थकेयर 4. सिक्योरिटी 5. मिडिया एण्ड इंटरटेन्मेन्ट 6. ब्यूटी एण्ड वेलनेस 7. रिटेल 8. बैंकिंग फाईनाबसियल सर्विस एण्ड इंश्योरेंस 9. टेलीकॉम्युनिकेशन
2	क्या यह बात सही है कि माध्यमिक विद्यालयों में वन एवं कृषि/रेशम उत्पादन/मत्स्य पालन इत्यादि महत्वपूर्ण व्यवसायिक विषयों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हीं विषयों की अधिकतया उपयोगिता है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-2 में वर्णित विषयों को शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	भारत सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से सभी राज्यों के लिए उपयोगी व्यवसायिक विषयों का सर्वेक्षण कराया गया है। विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा का चयन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न ट्रेडों में से किया जाता है। वर्तमान में व्यवसायिक शिक्षा में उपलब्ध सभी 9 विषयों को विद्यालयों में लागू किया गया है।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-54/2018 294 राँची, दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

श्री रविन्द्रनाथ महतो, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–प्रत–16

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में शिक्षकों और आधारभूत संरचना की कमी तथा विद्यार्थियों को समुचित सुविधा नहीं मिलने के कारण राज्य के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं;</td><td>अस्वीकारात्मक है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं के आवश्यकता का आकलन एवं राशि की मांग हेतु सभी विश्वविद्यालय को निदेश दिया गया। इसके आलोक में प्राप्त प्रस्तावों के समीक्षोपरांत राशि उपलब्ध करायी जा रही है। जी0ई0आर0 बढ़ाने हेतु अतिरिक्त नामांकन एवं द्वितीय पाली में कक्षाएँ संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2022 तक 61 डिग्री महाविद्यालय खोला जाना है, जिसमें 30 महाविद्यालय के निर्माण संबंधी योजना स्वीकृत की जा चुकी है। कतिपय महाविद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पाठ्यक्रम के सुव्यवस्थीकरण कर रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय मानव संसाधन विभाग के रिपोर्ट के तहत् झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं है और पड़ोसी राज्यों से काफी पीछे है;</td><td>अस्वीकारात्मक है। AISHE के निम्न आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि GER वृद्धि दर के मामले में झारखण्ड अपने पड़ोसी राज्यों से अव्वल है:–
<table>
<tr><th>State</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th><th>2015-16</th><th>2016-17</th><th>प्रतिशत वृद्धि</th></tr>
<tr><td>Jharkhand</td><td>13.1</td><td>15.4</td><td>15.5</td><td>17.7</td><td>35.10</td></tr>
<tr><td>Bihar</td><td>13.0</td><td>13.9</td><td>14.3</td><td>14.4</td><td>10.77</td></tr>
<tr><td>Chhatisgarh</td><td>14.0</td><td>14.6</td><td>15.1</td><td>16.1</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>Orisa</td><td>16.4</td><td>17.7</td><td>19.6</td><td>21.0</td><td>28.00</td></tr>
<tr><td>West Bengal</td><td>16.3</td><td>17.4</td><td>17.7</td><td>18.5</td><td>13.50</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा प्रदान कराने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?</td><td>राज्य में 04 नये सरकारी विश्वविद्यालय एवं 10 नये निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं, जहाँ छात्रों के रोजगारोन्मुखी पठन–पाठन की व्यवस्था है। परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 में जहाँ जी0ई0आर0 8.4 थी, वहीं वर्ष 2016–17 में बढ़कर 17.7 हो गयी है अर्थात् 110.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–18/2018 218 / राँची दिनांक– 29.01.2018 /

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–422 दिनांक–14.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

93

श्री सुखदेव भगत, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-14

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में एक भी कला एवं शिल्प महाविद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि महाविद्यालय नहीं होने के कारण झारखण्ड के हजारों कलाकार छात्रों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, जिसके कारण निर्धन छात्र कला एवं शिल्प की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं;	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार झारखण्ड में कला एवं शिल्प महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	राज्य में कला एवं शिल्प महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव का गठन कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड द्वारा किया जाना है। कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि०स०-35/2018 223 / राँची दिनांक- 29.01.2017 /

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-413 दिनांक-14.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
श्री राम कुमार पाहन, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-21

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पारा शिक्षक 15 वर्षों से विद्यालयों में सेवा निस्वार्थ भव से दे रहे है;	वस्तुस्थिति यह है कि सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदेय पर कार्यरत है। सभी अलग-अलग अवधि से कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि लगातार 15 वर्षें से सेवा दे रहे पारा शिक्षकों का अन्य सरकारी सेवाएँ के लिए उम्र सीमाएँ लगभग समाप्त हो गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि चयनित कार्यरत पारा शिक्षकों ने अपने-अपने प्रयास कर नियोजन अवसरों का उपयोग किया। स्वेच्छा से पारा शिक्षक इस नियोजन में है। राज्य के शिक्षक नियुक्ति में विशेष प्रावधान एवं उम्र सीमा शिथिलीकरण कर नियोजन का अवसर दिया गया।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कार्यरत पारा शिक्षकों का सीधी नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 एवं समय-समय पर हुए संशोधन के अनुसार नियुक्ति की जाती है। इसीका अनुपालन किया जा रहा है।

अवधेश 29/1/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/वि2-13/2018-288, राँची, दिनांक 29/1/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 594, दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवधेश 29/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

95

291
29/01/2018

श्री योगेन्द्र प्रसाद, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-12

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि +2 उच्च विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि शारीरिक शिक्षा के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (BPED एवं MPED) शारीरिक शिक्षकों के लिए उक्त बहाली में पद सृजित नहीं किया गया है, जबकि राज्य के हजारो युवा BPED एवं MPED की योग्यता रखते हैं;	वस्तुस्थिति यह है कि कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट है। स्वीकृत पदो के विरुद्ध मात्र विज्ञापन प्रकाशित है। यह पद सृजन केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पैटर्न पर किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों को भी उक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रतियोगिता परीक्षा, 2017 में शामिल करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति कंडिका-1 एवं 2 में स्पष्ट की गयी है।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-18/2018 291 राँची, दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

290
29/1/2018

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-19

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्यान्तर्गत 89 मॉडल विद्यालयों हेतु 979 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है पर कार्यरत शिक्षकों को मात्र 120=00 प्रति घंटी के दर से मानदेय भुगतान किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मॉडल विद्यालयों के शिक्षक वर्ष 2011-12 से अपनी सेवा दे रहे हैं तथा दो बेच मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट शत-प्रतिशत रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2017 की माध्यमिक परीक्षा में मॉडल विद्यालयो से सम्मिलित तथा उत्तीर्ण होने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या एवं प्रतिशत निम्नवत् है :-

कुल मॉडल विद्यालय की संख्या	मॉडल विद्यालय की संख्या, जिनसे छात्र-छात्रायें सम्मिलित हुए	परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राओं की संख्या	परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की संख्या	उत्तीर्णता का प्रतिशत
89	82	1246	1144	91.8%

3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के राज्य कार्यकारणी की 5वीं एवं छठी बैठक की कार्यवाही में 217 शिक्षकों को एक मुस्त मानदेय 26,250 रूपया देने का प्रस्ताव पारित हुआ था पर अब तक लागू नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव उपस्थापित किया गया था परन्तु राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण तथा नियुक्ति हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करते हुए प्रस्ताव जिला से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। संबंधित जिला से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 5वीं एवं 6वीं कार्यकारणी के प्रस्ताव के आलोक में 217 शिक्षकों को केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर मानदेय चालू वित्तीय वर्ष में देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में समस्त मामले पर समीक्षा कर निर्णय लिया जा सकेगा।

29/1/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-39/2018 290 राँची, दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

(98)

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–30.01.2018 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–17 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के कुल 23,473 वर्ग कि०मी० वन क्षेत्रों में स्थित विभिन्न प्रकार के खनिजों से संबंधित खानों को अपने आरक्षित क्षेत्रों में पिलर लगाने का वर्ष–2011 में आदेश दिया गया था ;	स्वीकारात्मक। यह निर्देश प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत किया गया था।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 वर्णित खान प्रबंधनों द्वारा पिलर लगाने के साथ–साथ घेराबंदी भी कर दिया जा रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। खनन् क्षेत्रों में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने लीज/खण्डित क्षेत्र को चिन्हित/सीमांकित करने के लिए पिलर निर्माण किया जाता है। सभी पिलर के साथ घेराबन्दी का कार्य नहीं किया जाता है। वैसे खनन् क्षेत्र जहाँ पर भारत सरकार की स्वीकृति के क्रम में Safety Zone क्षेत्र में Regeneration/Plantation हेतु शर्त लगायी गयी है, वहां सुरक्षा के मद्देनजर घेराबन्दी भी की जाती है।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित घेराबंदी कार्य से जंगली जानवर रास्ता भटकते हुए जंगली क्षेत्रों के ग्रामों में प्रवेश कर जा रहा है जिसके कारण ग्रामीणों को जान–माल की क्षति उठानी पड़ रही है,	सुरक्षा पट्टी की घेराबन्दी Regeneration/Plantation की सुरक्षा हेतु की जाती है। यह जंगली जानवरों के हित में भी है, जिनको अन्यथा खनन् क्षेत्रों में प्रवेश करने से हानि हो सकती है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1, 2 एवं 3 में वर्णित विषय के आलोक में ग्रामीणों तथा जंगली जानवरों के हित में घेराबंदी कार्य को रोकने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–12/2018– 412 व०प०, राँची, दिनांक– 29/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं०–418 दिनांक–14.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/01/2018

(आलोक कुमार)
सरकार के उप सचिव

99

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

प्रो. जय प्रकाश वर्मा, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-28

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि 2015-16 में 65000 शिक्षकों की बहाली की गई थी, इन्हें अपने जिलों से बाहर नियुक्त किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार इन्हें अपने जिलों और अपने घर से निकटतम विद्यालयों में स्थानान्तरण करने हेतु शिक्षकों से आवेदन पत्र लिये गये है, तकनीकी अड़चन के कारण पुरूष शिक्षकों को पाँच वर्ष से पहले स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शिक्षकों का कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु उन्हें पैतृक जिले में अपने घर के अगल-बगल विद्यालयों में स्थानान्तरण करने हेतु निर्धारित नियमावली (पाँच वर्ष की वैधता) को शिथिल करते हुए दुरस्त क्षेत्रों में पढ़ा रहे शिक्षकों को जून 2018 तक उनके द्वारा मांग किए गये स्थानों में स्थानान्तरण करने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक का जिलाकैडर है। सभी को इच्छित जिलामें आवेदन की छुट थी। एक-एक अभ्यर्थी 5-6 या अधिक जिला में आवेदन किया। प्रत्येक जिला आरक्षण रोस्टर अलग-अलग है। यह सामान्यतः जिलाके बाहर स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति निर्धारण प्रक्रियाधीन है।

अवर सचिव
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व.2-20/2018-284 राँची, दिनांक 29/1/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 887, दिनांक 20.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
सरकार के अवर सचिव

Khorshid

100

295
29/01/2018

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-20

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के माध्यमिक तथा प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता में एकरूपता नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राँची जिले में 44 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक उपलब्ध है, वहीं गढ़वा जैसे पिछड़े जिलों में 207 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक पदस्थापित है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि विभाग ने सभी स्कूलों में छात्र अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है, परन्तु अब तक उक्त दिशा में ठोस पहल नहीं हुई है;	+2 विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन का कार्य निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। माध्यमिक विद्यालयों का कैडर वर्त्तमान में जिला स्तर का है। अन्तर जिला स्थानान्तरण अनुमान्य एक बार के रूप में किया गया था।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु समरूपता के आधार पर राज्य के समस्त स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति निम्न है :-

विद्यालय का स्तर	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
माध्यमिक	23089	4347	18742
इंटर	5610	1643	3967

उक्त के क्रम में शिक्षकों की कुल रिक्त तथा विषयवार रिक्त पदों के कारण असंतुलन बना हुआ है। वर्त्तमान में राज्य सरकार एक स्थानान्तरण नीति के तहत् कार्य करने के लिये प्रयास, रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ किया जा रहा है। वर्त्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3080 तथा माध्यमिक में 17864 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

29/1/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-38/2018 295 राँची, दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/1/18
सरकार के अवर सचिव।

101

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-34

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि समान कार्य हेतु समान वेतन देने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 31.10.2016 को आदेश दिये जाने के बाद भी शिक्षा मित्रों को समान वेतन लाभ नहीं मिल रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में शिक्षा मित्र नाम का कोई भी पद विद्यालय में नहीं है और न इस पद पर कोई भी कार्यरत है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदेय पर पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जिनको भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रुवल बोर्ड द्वारा स्वीकृत मानदेय का भुगतान किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त वेतन विसंगति के कारण लाखों शिक्षा मित्रों को समान वेतन लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है;	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यभर के सभी शिक्षा मित्रों को भी समान कार्य हेतु समान वेतन देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

अरुण सिंह
26/1/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व02-26/18-298 राँची, दिनांक 29/1/2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1011, दिनांक 23.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अरुण सिंह
29/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid